रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 404] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 14, 2009/आषाढ़ 23, 1931

No. 404] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 14, 2009/ASADHA 23, 1931

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2009

सा.का.नि. 521(अ).—योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा के संगम ज्ञापन तथा नियम एवं विनियम के खण्ड 14(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत: :—

1. **लघु शीर्ष तथा प्रारंभ.**—(1) इन नियमों को योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा (निदेशक), भर्ती नियमावली, 2009 कहा जाए ।

(2) ये नियम इस अधिसूचना की तिथि से लागू होंगे ।

2. **परिभाषाएं .**—इन नियमों में, जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) "संगम ज्ञापन तथा नियम" का अर्थ है योजना एवं वास्तुकला स्कूल, विजयवाड़ा का संगम ज्ञापन और नियम तथा विनियम;

(ख) "सेवा नियम" का अर्थ है योजना एवं वास्तुकला स्कूल, विजयवाड़ा के सेवा-नियम;

(ग) "निदेशक" का अर्थ है योजना एवं वास्तुकला स्कूल, विजयवाड़ा का निदेशक-जिन्हें केन्द्र सरकार ने योजना एवं वास्तुकला स्कूल, विजयवाड़ा के संगम ज्ञापन और नियम एवं विनियम के नियम 14(क) के तहत नियुक्त किया हो ।

3. **भर्ती का तरीका तथा अन्य मामले .**—भर्ती का तरीका तथा निदेशक के पद से संबंधित अन्य मामलों को इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 3 से 13 में विनिर्दिष्ट किया गया है ।

4. **अयोग्यता.**—कोई भी व्यक्ति,—

(i) जिसने ऐसे किसी व्यक्ति जिसका पति/पत्नी जीवित है, से विवाह अथवा विवाह का इकरारनामा किया है; अथवा

(ii) जिसने अपने पति/पत्नी के जीवित रहते किसी अन्य व्यक्ति से विवाह अथवा विवाह का इकरारनामा किया है; उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

बशर्ते केन्द्र सरकार, यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसे किसी व्यक्ति तथा विवाह में शामिल अन्य पक्षों हेतु प्रयोज्य व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह अनुमत्य है और यह कि ऐसा करने के अन्य आधार मौजूद हैं, इस नियम के दायरे से किसी व्यक्ति को बाहर रख सकती है ।

5. छूट देने का अधिकार.—जहां केन्द्र सरकार का यह अभिमत हो कि ऐसा करना अपेक्षित अथवा समयोचित है, वह लिखित में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से किसी वर्ग अथवा श्रेणी अथवा व्यक्तियों से संबंधित इन नियमों के प्रावधानों में आदेश देकर छूट दे सकती है।

6. अपवाद.—केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष श्रेणियों हेतु प्रदान किए जाने वाले आरक्षणों, आयु सीमा में छूट तथा अन्य छूटों को ये नियम प्रभावित नहीं करेंगे । पहले से ही की जा चुकी किसी मौजूदा भर्ती अथवा जिस पद के लिए भर्ती प्रक्रिया पहले ही प्रारंभ हो चुकी है, को भी ये नियम प्रभावित नहीं करेंगे ।

7. अन्य सेवा शर्तें.—निदेशक की अन्य सेवा शर्तों जिनके लिए इन नियमों में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं किए गए हैं, का विनियमन ऐसे नियमों द्वारा किया जाएगा जो समय-समय पर केन्द्र सरकार के तहत समूह-क के अधिकारियों जो समकक्ष वेतनमान में वेतन एवं भत्ते आहरित करते हैं, पर लागू होते हैं ।

अनुसूची

निदेशक, योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा हेतु भर्ती नियमावली

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
निदेशक, योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा	1 (एक)	समूह 'क'	रु. 18400-500-22400 (न्यूनतम 19400 रु. पर निर्धारित की जाएगी)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु सीमा तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती का तरीका :** (क) क्या सीधी भर्ती अथवा (ख) पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा और विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं.	5 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए संविदा आधार पर

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती के मामले में पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन हेतु उपलब्ध कराए जाने वाले ग्रेड	न्यूनतम अर्हता तथा अनुभव
(11)	(12)
लागू नहीं	**1. शैक्षिक अर्हताएं** (i) वास्तुकला/योजना की समुचित शाखा में निष्णात डिग्री अथवा समकक्ष अर्हता; और (ii) वास्तुकला/योजना की समुचित शाखा में पी.एच.डी. डिग्री और पी.एच.डी. के समकक्ष निर्दिष्ट पत्रिकाओं में प्रकाशित रचनाएं (i), (ii) के अलावा अभ्यर्थी को उस क्षेत्र में एक लब्धप्रतिष्ठ व्यक्ति होना चाहिए ।

	(12)
	2. अनुभव शिक्षण/उद्योग/अनुसंधान में 15 वर्षों का अनुभव जिनमें पांच वर्षों का अनुभव वास्तुकला/योजना में प्रोफेसर अथवा उससे ऊपर के स्तर का अवश्य होना चाहिए । **वांछनीय :** जिम्मेदार पद पर प्रशासनिक अनुभव **3. उद्योग तथा व्यवसाय के अभ्यर्थियों हेतु अर्हताएं तथा अनुभव** वास्तुकला/योजना की समुचित शाखा में प्रथम श्रेणी की स्नातक/निष्णात डिग्रीधारी उद्योग/व्यवसाय से जुड़े अभ्यर्थी । और व्यावसायिक कार्य जो महत्वपूर्ण हो तथा जिसे पी.-एच.डी. के समकक्ष माना जा सके और 15 वर्षों का अनुभव जिनमें 5 वर्षों का अनुभव किसी प्रोफेसर के समकक्ष किसी वरिष्ठ स्तर का होना चाहिए, भी पात्र होंगे । अथवा भारत सरकार में नियमित आधार पर संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासनों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के तहत अधिकारीगण जिन्हें तकनीकी शिक्षा प्रणाली के प्रबंधन में 5 वर्षों का अनुभव । अथवा विश्वविद्यालयों शोध संस्थाओं अथवा शैक्षिक संगठनों के अधिकारी जो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुल सचिव अथवा समकक्ष पद से कम न हो जिन्हें रु. 16400–22400 के ग्रेड में कम से कम 10 वर्षों की सेवा का अनुभव हो । **वांछनीय :** किसी जिम्मेदार पद पर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त ।

नियुक्ति की अवधि	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है	परिस्थितियां जिनमें भर्ती हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)	(15)
निदेशक की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाएगी और कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष के कार्यकाल के लिए पद पर रहेंगे जो सामान्यतया सामान्य अधिवर्षिता आयु से अधिक नहीं होगी जैसाकि किसी केन्द्रीय विश्वविद्यालय के संकाय हेतु लागू है । 5 वर्ष के कार्यकाल जो सामान्य अधिवर्षिता आयु के भीतर है, को जनहित अधिक से अधिक केवल छ: माह के लिए बढ़ाया जा सकता है । कोई व्यक्ति जो निदेशक के पद पर दो बार रहा हो, वह निदेशक के पद पर पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा । **नोट 1.**—निदेशक के पद पर नियुक्ति पर विचार करने हेतु आवेदन खुले विज्ञापन और साथ ही विश्वविद्यालय स्तरीय शैक्षिक संस्थाओं के प्रमुखों द्वारा मनोनयन के जरिए आमंत्रित किए जाएंगे । **नोट 2.**—निदेशक के पद हेतु पेंशन की व्यवस्था नहीं होगी । तथापि, ऐसा व्यक्ति जो निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले अधिष्ठायी आधार पर पेंशन योग्य पद पर कार्यरत है, वह अपना कार्यकाल पूरा होने तक अथवा अधिवर्षिता की सामान्य आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अर्हक सेवा के उद्देश्यार्थ सेवानिवृत्ति और पेंशन संबंधी लाभ प्राप्त करेगा । यदि संबंधित	लागू नहीं	लागू नहीं

13

चयनित व्यक्ति/निदेशक पेंशन हेतु पात्र नहीं है, तब वह संस्थान की अंशदायी भविष्य निधि योजना में अंशदान करेगा । यदि कार्यकाल को अधिवर्षिता की सामान्य तिथि से अधिक बढ़ाया जाता है, इस बढ़ाई गई अवधि को अर्हक सेवा नहीं माना जाएगा और इस सेवा को उसी प्रकार विनियमित किया जाएगा जैसाकि पुनर्नियोजित पेंशनधारियों के लिए लागू है ।

नोट 3.–निदेशक के रूप में संविदा आधार पर नियुक्ति की अवधि हेतु संबंधित व्यक्ति को विदेश सेवा पर समझा जाएगा और वह अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान के लिए पात्र होगा । वह प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू तथा परिवार हेतु स्थानांतरण सहित कार्यभार ग्रहण करते समय वेतन के भी पात्र होंगे ।

नोट 4.–अभ्यर्थियों का चयन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की सहमति से उच्चतर विभाग द्वारा गठित खोज-व-चयन समिति द्वारा किया जाएगा । इस खोज-व-चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :–

1.	अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाने वाला कोई व्यक्ति	–	मानव संसाधन विकास मंत्री के अनुमोदन से अध्यक्ष
2.	दो बाह्य लब्धप्रतिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ	–	मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा मनोनीत किया जाने वाला सदस्य जो अपर-सचिव से नीचे के पद का न हो ।
3.	संयुक्त सचिव, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय में वास्तुशिल्प शिक्षा के प्रभारी हों	–	संयोजक

खोज-व-चयन समिति द्वारा सुझाया गया नाम/पैनल एक वर्ष के लिए वैध होगा । यदि एक वर्ष की अवधि में पैनल में से किसी का चयन नहीं किया जाता है, तो एक नया पैनल बनाने हेतु एक नई खोज-व-चयन समिति गठित की जाएगी । इस प्रकार की खोज-व-चयन समिति प्रथम पैनल में अनुशंसित व्यक्तियों के नाम पर भी विचार करेगी ।

[सं. 3-24/2008-टी एस-IV]

एन. के सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the14th July, 2009

G.S.R. 521(E).—In exercise of the powers conferred by clause 14(a) of the Memorandum of Association and Rules and Regulations of the School of Planning and Architecture (SPA), Vijayawada, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the School of Planning and Architecture (SPA) Vijayawada (Director) Recruitment Rules, 2009.

(2) These shall come into force on the date of their notification.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Memorandum of Association and Rules" means Memorandum of Association and Rules and Regulations of School of Planning and Architecture (SPA), Vijayawada;

(b) "Service Rules" means Service Rules of School of Planning and Architecture (SPA), Vijayawada;

(c) "Director" means the Director of the School of Planning and Architecture (SPA), Vijayawada – appointed by the Central Government under Rule 14(a) of the Memorandum of Association and Rules and Regulations of the School of Planning and Architecture (SPA), Vijayawada.

3. **Method of recruitment and other matters.**—The method of recruitment and other matters relating to the post of Director shall be specified in columns (3) to (13) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Disqualification.**—No person,—

(i) who had entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(ii) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such a person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard. These rules, shall also not affect any existing recruitment already made or for which recruitment process has already commenced.

7. **Other conditions of service.**—The other conditions of service of the Director for which no specific provisions have been provided in these rules, shall be regulated in accordance with such rules as are, from time to time, applicable to officers of the Central Government Group-A drawing the pay and allowances in corresponding scale of pay.

SCHEDULE

Recruitment Rules (RRs) for the post of Director, School of Planning and Architecture (SPA), Vijayawada

Name of post	No. of post	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other Qualifications required for Direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Director, SPA, Vijayawada	1 (One)	Group 'A'	Rs. 18,400-500-22,400 (Minimum to be fixed at Rs. 19,400)	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will also apply in case of promotees	Period of Probation, if any	**Method of Recruitment** : (a) whether by direct recruitment or (b) by promotion/by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	On contract basis for tenure of 5 (five) years.

2585 GI/09-2

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades on which promotion/deputation/absorption to be made applicable	Minimum Qualification and Experience
(11)	(12)
Not applicable	**1. Educational Qualifications :** (i) Master's degree or equivalent qualification in the appropriate branch of Architecture/Planning; and (ii) Ph. D. degree in an appropriate branch of Architecture/Planning OR Published works in referred journals equivalent to Ph. D. In addition to (i), (ii) the candidate should be an eminent person in the field. 2. **Experience** : 15 years' experience in Teaching/Industry/Research out of which 5 years must be at the level of Professor or above in Architecture/Planning. **Desirable** : Administrative experience in responsible position. 3. **Qualification and Experience for candidates from Industry and Profession** : Candidates from Industry/Profession with first class Bachelor's/Master's degree in the appropriate branch of Architecture/Planning. AND Professional work which is significant and can be recognized as equivalent to Ph. D. degree and with 15 years' experience of which atleast 5 years should be at a Senior Level comparable to that of a Professor would also be eligible. OR Officers under the Central Government/State Government/Union Territory Administrations or Public Enterprises holding a post of Joint Secretary to the Government of India on regular basis with 5 years experience in managing technical education system. OR Officers of Universities Research Institute of Academic Organizations not below the rank of Registrar of Central Universities or equivalent with at least 10 years regular service in the grade of Rs.16,400-22,400. **Desirable** : Administrative experience in a responsible position.

Tenure of appointment	If a Depatmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)	(15)
The Director shall be appointed by the Central Government and would hold office for a tenure of five years from the date of joining which shall not ordinarily extend beyond the age of normal superannuation as applicable to a faculty of a Central University. The tenure of 5 years which is within the normal age of superannuation can be extended in public interest for a maximum period of six months only. A person who has held the post of Director for two terms would not be eligible for further re-appointment as Director.	Not applicable	Not applicable

(13)

Note 1. - Applications for consideration for appointment to the post of Director shall be invited through open advertisement as well as through nomination by heads of University level Academics Institutions.

Note 2. - The post of Director shall not carry any pension. However, a person who held a pensionable post on substantive basis before his appointment as Director for the purpose of qualifying service for grant of retirement and pensionary benefit up to the completion of his term or up to the age of normal superannuation whichever is earlier. If the selected person concerned/Director was not eligible for pension, then he would subscribe to the CPF scheme of the institute. If the tenure is extended beyond the normal date of superannuation, such extended period shall not be treated for qualifying service and the service would be regulated in the same manner as applicable to re-employed pensioners.

Note 3. - For the period of appointment on contract as Director, the person concerned shall be treated as on Foreign Service and he shall be eligible for leave salary and pension contribution. He would be also entitled to joining time and joining time pay along with transfer grant for self and family as applicable in the case of deputation.

Note 4. - Selection of the Candidate shall be made by a Search-cum-Selection Committee constituted for this purpose by the Department of Higher Education with the concurrence of the DOPT. The Search-cum-Selection Committee shall consist of the following members, namely :—

1.	A person to be appointed as Chairman	– Chairman with the approval of the Minister of Human Resource Development.
2.	Two outside eminent technical experts	– Members not below the rank of Additional Secretary to be nominated by Minister of Human Resource Development.
3.	Joint Secretary, dealing with Architecture Education in the Ministry of Human Resource Development.	– Convener

The name/panel suggested by the Search-cum-Selection Committee shall be valid for one year. If no selection is made from the panel within a period of one year, then a fresh Search-cum-Selection Committee shall be constituted to prepare a fresh panel. Such Search-cum-Selection Committee shall also consider the names of persons recommended in the first panel.

[No. 3-24/2008-TS-IV]

N. K. SINHA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.